रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 937] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2017/चैत्र 15, 1939
No. 937] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2017/CHAITRA 15, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ. 1052(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विस्तार सुधारों संबंधी राज्य विस्तार कार्यक्रम-एटीएमए के लिए सहायता की केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है।

और यह स्कीम किसानों को पुरस्कार, किसान मित्रों को वार्षिक आकस्मिक प्रसुविधा और विस्तार कृत्यकारियों को वेतन के संदाय के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्कीम में विस्तार क्रियाकलापों अर्थात् विस्तार कृत्यकारियों को प्रशिक्षण, विस्तार कृत्यकारियों के ज्ञान वर्धन दौरों, किसानों को प्रशिक्षण, किसानों के ज्ञान वर्धन दौरों, प्रदर्शन व फार्म स्कूल का प्रावधान है। स्कीम के अधीन दी जाने वाली वित्तीय सहायता और किए जाने वाले विस्तार कार्यकलाप (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधाएं कहा गया है) विस्तार कृत्यकारियों, किसान मित्रों और किसानों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् हिताधिकारी कहा गया है) को भी प्रदान किए जाते हैं जिसमें भारत सरकार की संचित निधि से उपगत व्यय शामिल है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, परंतु वह इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने का इच्छुक है, आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट पर किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in) पर जा सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, ऐसे हिताधिकारियों को आधार नामांकन सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि आस-पास जैसे ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में कोई भी आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के लिए यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है।

परन्तु व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; अथवा

(ii) पैरा-2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; अथवा (ii) मतदाता पहचान पत्र; अथवा (iii) राशन कार्ड; अथवा (iv) पैन कार्ड; अथवा (v) मोटर अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा (vi) पासपोर्ट; अथवा (vii) किसान फोटो पासबुक; अथवा (viii) सरकारी लैटर हैड पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; अथवा (ix) राज्य सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज:

परन्तु यह और कि इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा उपयुक्त दस्तावेज की जांच की जाएगी।

2. इस योजना के अधीन हिताधिकारियों को सुविधाजनक व बाधामुक्त प्रसुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सुविधाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा-

(क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में आवेदकों अथवा हिताधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया व वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रसार किया जाए और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्र पर स्वयं का नामांकन करवाने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि हिताधिकारी निकट पास-पड़ोस में जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कृषि, सहकारिता एवं

किसान कल्याण विभाग से अपेक्षित है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करे और हिताधिकारी, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पदाभिहित सम्बद्ध पदाधिकारियों के साथ या इस प्रयोजन के लिए उपबंधित वेबपोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट उनके नाम प्रत्येक मोबाइल संख्या तथा अन्य ब्यौरे देकर आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 9-8/2015-एई]

अमिताभ गौतम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O. 1052(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in the Government of India is administering the Centrally Sponsored Scheme of Support to State Extension Programmes for Extension Reforms – ATMA (hereinafter referred to as the Scheme);

And whereas, the Scheme provides financial assistance in the form of awards to farmers, annual contingency to Farmer Friends, and payment of salaries to the Extension Functionaries. The Scheme also offers extension activities namely, training of Extension Functionaries, exposure visit of Extension Functionaries, training of farmers, exposure visit of farmers, demonstration and Farm Schools. The financial assistance and extension activities offered under the Scheme (hereinafter referred to as the benefits) are offered to Extension Functionaries, Farmer Friends and farmers (hereinafter referred to as the beneficiaries), which involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment, if he or she is entitled to obtain Aadhaar as per

section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare in the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (ix) Any other documents as specified by the State Government or Union territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centre available in their areas**,** in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the

beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the concerned officials specifically designated by the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories Administration except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 9-8/2015-AE]
AMITABH GAUTAM, Jty. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.05 16:27:18 +05'30'